रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 221] नई दिल्ली, मंगलवार, 30 अप्रैल, 1985/वैशाख 10, 1907

No. 221] NEW DELHI, TUESDAY, 30 APRIL, 1985/VAISAKHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग एवम् कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1985

आदेश

का०आ० 371 (अ)/18कक/आई डी आर ए/85:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 265/(अ)/18कक/आई डी आर ए/78 तारीख 13 अप्रैल, 1978 द्वारा (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर के सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रमों अर्थात् (1) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (2) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी, (3) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, (4) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मउनाथ भजन, (5) मैसर्स उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर, और (6) मैसर्स रायबरेली टैक्सटाइल मिल्स, रायबरेली, का (जिन्हें इसमे इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड क के अधीन 13 अप्रैल, 1978 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड को संपूर्ण औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 283 (अ)/18कक/आई डी आर ए/83 तारीख 11 अप्रैल, 1983, का० आ० 525(अ)/18कक/आई डी आर ए/83 तारीख 27 जुलाई, 1983, का०आ० 41(अ)/18कक/आई डी आर ए/84 तारीख 30 जनवरी, 1984, का०आ० 334(अ)/18कक/ आई डी आर ए/84, तारीख 30 अप्रैल, 1984, का० आ० सं० 547(अ) 18कक/आई डी आर ए/84 तारीख/31 जुलाई, 1984 और का० आ० 814(अ)/18कक/आई डी आर ए/84 तारीख 31 अक्तूबर, 1984 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 30 अप्रैल, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 अक्तूबर, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 अक्तूबर, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 3(6)/78-सी यू एस]

MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th April, 1985

ORDER

S.O. 374(E)|18AA|IDRA|85.—Whereas by the Order of Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 265(E)|18AA|IDRA|78, dated the 13th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertakings, namely (i) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) Messrs Udaipur Cotton Mills, Udaipur and (vi) Messrs Rae Bareli Textile Mills, Rae Bareli of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur (hereinafter referred to as the said undertakings) were taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years from the 13th April, 1978 and the National Textile Corporation Limited was authorised to take over the management of the whole of industrial undertakings;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 283(E)|18AA|IDRA|83, dated 11th April, 1983, S.O. 525(E)|18AA|IDRA|83, dated the 27th July, 1983, S.O. 41(E)|18AA|IDRA|84, dated 30th January, 1984, S.O. 334(E)|18AA|IDRA|84, dated 30th April, 1984, S.O. No. 547(E)|18AA|IDRA|84, dated 31st July, 1984 and S.O. No. 814(E)|18AA|IDRA|84, dated 31st October, 1984, the period of the said order was extended upto and inclusive of the 30th April, 1985;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st October, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st October, 1985

[File No. 3(6)|78-CUS.]

आदेश

का० आ० 375(अ)/18 चख/आई डी आर ए/85 :— केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 277(अ)/18चख/आई डी आर ए/78 तारीख 20 अप्रैल, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश में जारी किये जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, परिनिधारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताओं और दायित्वों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के (1) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, (2) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी, (3) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी, (4) मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथ भंजन (5) मैसर्स उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर, और (6) मैसर्स रायबरेली टैक्सटाईल मिल्स, रायबरेली, नामक औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को लागू हैं, प्रवर्तन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेंगे ;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि जनसाधारण के हित में यह आवश्यक है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त आदेश की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 30 अप्रैल, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये प्रभावी बने रहने की समय-समय पर घोषणा की थी, देखिये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 209 (अ)/18चख/आई डी आर ए/79, तारीख 16 अप्रैल, 1979; का०आ० 262(अ)/18चख/आई डी आर ए/80, तारीख 17 अप्रैल, 1980; का०आ० 305 (अ)/18चख/आई डी आर ए/81 तारीख 20 अप्रैल, 1981; का०आ० 272(अ)/18चख/आई डी आर ए/82, तारीख 20 अप्रैल, 1982; का०आ० 284(अ)/18चख/आई डी आर ए/83, तारीख 11 अप्रैल, 1983;

का०आ० 326(अ)/18चख/आई डी आर ए/83, तारीख 27 जुलाई, 1983; का०आ० 12(अ)/18चख/आई डी आर ए/84, तारीख 30 जनवरी 1984; का०आ० 335(अ)/18चख/आई डी आर ए/84, तारीख 30 अप्रैल, 1984; का०आ० 548(अ)/18चख/आई डी आर ए/84, तारीख 31 जुलाई, 1984; और का०आ० 815 (अ)/18चख/आई डी आर ए/84, तारीख 31 अक्तूबर, 1984;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 31 अक्तूबर, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये बढ़ा दी जाये ;

अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि 31 अक्तूबर, 1985 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये बढ़ाती है ।

[फा०सं० 3(6)/78-सी यू एस]
ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 375(E)|18FB|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 277(E)|18FB|IDRA|78, dated the 20th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all obligation and liabilities accruing or arising out of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force, immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertakings known as (i) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) Messrs Swadeshi Cotton Mills, Maunath Bhanjan, (v) Messrs Udaipur Cotton Mills, Udaipur, and (vi) Messrs Rae Bareli Textile Mills, Rae Bareli of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur, are parties or which may be applicable to such industrial undertakings shall remain suspended for a period of one year from such date and that all obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas the Central Government being of opinion that it is necessary in the interest of the general public that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of the aforesaid Order had declared from time to time for such continuance for a further period upto and inclusive of the 30th April, 1985, vide orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 209(E)|18FB|IDRA|79, dated 16th April, 1979, S.O. 262(E)|18FB|IDRA|80, dated 17th April, 1980, S.O. 305(E)|18FB|IDRA|81, dated 20th April, 1981, S.O. 272(E)|18FB|IDRA|82, dated 20th April, 1982, S.O. 284(E)|18FB|IDRA|83, dated 11th April, 1983, 526(E)|18FB|IDRA|83, dated 27th July, 1983, S.O. 42(E)|18FB|IDRA|84, dated the 30th January, 1984, S.O. 335(E)|18FB|IDRA|84, dated the 30th April, 1984, S.O. 548(E)|18FB|IDRA|84, dated the 31st July, 1984; and S.O. 815 (E)|18FB|IDRA|84, dated the 31st October, 1984.

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 31st October, 1985.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 31st October, 1985.

[File No. 3(6)|78-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985